

## दिल्ली वधानसभा हेतु समयपूर्व चुनाव की मांग

### प्रलिस के लयः

[अनुच्छेद 239AA](#), [NCT](#), अनुसूची VII, [राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार \(संशोधन\) अधनियम 2021](#) के तहत दिल्ली के लयः वशष प्रावधान ।

### मेन्स के लयः

अनुच्छेद 239AA के तहत दिल्ली के लयः वशष प्रावधान, केंद्रशासति प्रदेशों का प्रशासन ।

[स्रोतः इंडयन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में शीघ्र वधानसभा चुनाव कराने का आह्वान कयः है, तथा उन्होंने महाराष्ट्र के साथ ही दिल्ली में भी चुनाव कराए जाने का अनुरोध कयः, जहाँ 26 नवंबर 2024 से पहले नई वधानसभा के लयः चुनाव होना है ।

- दिल्ली वधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को समाप्त होगा ।

## चुनाव संबंधी नयम और प्रावधान क्या हैं?

- संवैधानिक ढांचा:**
  - भारतीय नरिवाचन आयोग (ECI) को संवधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनावों की देखरेख और संचालन का अधिकार है ।
  - अनुच्छेद 324 भारत के नरिवाचन आयोग को चुनावी प्रक्रया के अधीक्षण, नरिदेशन और नरियंत्रण की शक्तिप्रदान करता है, जससे यह सुनश्चिति होता है कि मौजूदा वधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव पूरे हो जाएँ ।
- जनप्रतनिधित्व अधनियम (RPA अधनियम), 1951:**
  - जन प्रतनिधिकानून, 1951 की धारा 15(2) के अनुसार, वधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से कम-से-कम 6 महीने पहले चुनावों की अधसूचना नहीं दी जा सकती, जब तक कि वधानसभा समय से पहले भंग न हो जाए ।
  - यह प्रावधान चुनावी प्रक्रयाओं के लयः नरिधारति समय-सीमा का पालन करने के महत्त्व पर बल देता है ।
- वधानसभा का वधितन:**
  - राज्यपाल की भूमिका:**
    - संवधान का अनुच्छेद 174(2)(b) राज्यपाल को "समय-समय पर" वधान सभा को भंग करने का अधिकार प्रदान करता है ।
    - मुख्यमंत्री और मंत्रपरिषद वधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसे भंग करने की सफारशि कर सकते हैं ।
    - एक बार वधानसभा भंग हो जाने पर, भारत नरिवाचन आयोग को छह महीने के भीतर चुनाव कराने का दायत्व सौंपा जाता है ।
  - दिल्ली का वशष मामला:**
    - दिल्ली वधानसभा का वधितन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधनियम, 1991 द्वारा अभिरेत है ।
    - धारा 6(2)(b) में कहा गया है कि [उपराज्यपाल \(LG\)](#) वधानसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन अंतमि नरिणय केंद्र के पास है ।
    - इसलयः, भले ही मुख्यमंत्री वधितन की सफारशि करते हैं, यह अंततः उपराज्यपाल और केंद्र सरकार की मंजूरी पर नरिभर है ।

## चुनाव कार्यक्रम तय करने से पहले भारत नरिवाचन आयोग कनि कारकों पर वचिार करता है?

- कार्यकाल समाप्ति तिथि: वर्तमान वधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई वधानसभा का गठन हो जाना चाहयः ।
- तार्किक वचिार: ECI वर्तमान स्थिति, सुरक्षा बलों की उपलब्धता एवं चुनाव अधिकारियों के प्रशक्तिषण की आवश्यकता पर वचिार करता है ।

- **प्रशासनिक इनपुट:** भारत नरिवाचन आयोग, स्थानीय प्रशासनिक और पुलिस तंत्र से इनपुट एकत्र करता है।
- **चुनावों का एक साथ आयोजन:** नरिवाचन आयोग का उद्देश्य (जहाँ तक संभव हो) चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिये राज्यों में चुनावों को एक साथ आयोजन करना होता है।

## दिल्ली का शासन मॉडल क्या है?

- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - दिल्ली को संविधान की अनुसूची 1 के तहत केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त है लेकिन अनुच्छेद 239AA के तहत इसे 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT)' के रूप में नामित किया गया है।
- **अनुच्छेद 239AA:**
  - दिल्ली के लिये राज्य के दर्जा की मांगों पर विचार करने के लिये गठित एस बालाकृष्णन समिति की सिफारिशों के बाद दिल्ली को विशेष दर्जा देने के लिये संविधान (69वें) संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा अनुच्छेद 239AA को संविधान में शामिल किया गया था।
  - **अनुच्छेद 239AA के प्रावधान:**
    - इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक प्रशासक और एक विधानसभा होगी।
    - संविधान के प्रावधानों के अधीन विधानसभा को "पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर, राज्य सूची या समवर्ती सूची के किसी भी विषय के संबंध में पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिये विधि निर्माण की शक्ति होगी, जहाँ तक ऐसा कोई मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है।"
    - इसके अलावा LG को या तो मंत्रपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा या वह राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ पर लिये गए नरिणय को लागू करने के लिये बाध्य है।
    - इससे उपराज्यपाल को मंत्रपरिषद के साथ 'किसी भी मामले' पर मतभेद के संदर्भ में राष्ट्रपति को सूचित करने का अधिकार मिलता है।
      - इस प्रकार LG और नरिवाचन सरकार के बीच इस दोहरे नियंत्रण से सत्ता संघर्ष को बढ़ावा मिलता है।
  - **अनुच्छेद 239AB** (जैसे संविधान (69वाँ) संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा शामिल किया गया) में प्रावधान है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 239AA के किसी प्रावधान या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाए गए किसी कानून के सभी या किसी प्रावधान के क्रियान्वयन को निलंबित किया जा सकता है।

## भारत नरिवाचन आयोग क्या है?

- **परिचय:**
  - **भारतीय नरिवाचन आयोग**, एक स्वायत्त सांविधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य नरिवाचन प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिये ज़िम्मेदार है।
  - इसका राज्यों में **पंचायतों** एवं **नगर पालिकाओं** के नरिवाचन से कोई सरोकार नहीं है। इसके लिये भारत का संविधान एक अलग **राज्य चुनाव आयोग** का प्रावधान करता है।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **भाग XV (अनुच्छेद 324-329):** यह नरिवाचन से संबंधित है और इन मामलों के लिये एक आयोग की स्थापना करता है।
  - **अनुच्छेद 324:** नरिवाचन हेतु अधीक्षण, नरिदेशन एवं नियंत्रण एक चुनाव आयोग में नहित किया जाएगा।
  - **अनुच्छेद 325:** कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिये अयोग्य नहीं होगा।
  - **अनुच्छेद 326:** लोक सभा एवं राज्यों की विधान सभाओं के नरिवाचन **व्यसक मताधिकार पर आधारित** होंगे।
  - **अनुच्छेद 327:** विधायिकाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति।
  - **अनुच्छेद 328:** किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के लिये नरिवाचन के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति।
  - **अनुच्छेद 329:** नरिवाचन के मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक।
- **आयुक्तों की नियुक्ति एवं कार्यकाल:**
  - राष्ट्रपति **CEC और अन्य EC (नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023** के अनुसार CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है।
  - उनका छह साल का एक निश्चित कार्यकाल होता है या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)।
  - **CEC और EC का वेतन तथा सेवा शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश** के बराबर होंगी।

????????????????:

चुनावी प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका का परीक्षण कीजिये। चुनावी कदाचार से निपटने में भारत के चुनाव आयोग के सामने कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं और इनका समाधान कैसे किया जा सकता है?

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

????????????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. भारत का नरिवाचन आयोग पाँच-सदस्यीय नकिया है ।
2. संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लयि चुनाव कार्यक्रम तय करता है ।
3. नरिवाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के वभाजन/वलिय से संबंधति वविाद नपिटाता है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

**??????:**

प्रश्न: आदर्श आचार-संहति के उदभव के आलोक में, भारत के नरिवाचन आयोग की भूमिका का वविचन कीजयि । (2022)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/demand-for-early-elections-to-delhi-assembly>

